20/7/18 पत्रावली पेश। उप0। प्रतिवादी सं 4 कि ओर से कोई उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद ना तो प्रतिवादी सं 4 स्वयं उपस्थित हुआ ना ही इसकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ। इसलिए प्रतिवादी सं 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पर पत्रावली को सुना गया। कायम मुकामी प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी कि ओर से No-objection दिया गया। इसलिए न्यायहित मे प्रार्थना पत्र कायम मुकामी स्वीकार किया जाता है। वकील वादीगण कि वाद पत्र पर अन्तिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादीगण ने बताया कि भूमि ख0न0 772 एवं 411 तन ग्राम गोविन्दपुरा मे स्थित है। भूमि ख0न0 772 रकबा 16.44 हे0 ~~[illegible]~~ मे वादीगण 1/8 हिस्से के अधिकारी है एवं ख0न0 411 रकबा 0.29 हे मे 1/4 हिस्से के अधिकारी है एवं इसी अनुसार खातेदारी दर्ज कागजात के अधिकारी है। वादीगण का इसी अनुसार भूमि पर कब्जा काश्त शुरु से ही चला आ रहा है जिस बाबत खसरा गिरदावरी भी

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

पेश कि है। प्रतिवादी सं 1, 2/1, 2/2 व 3 ने जरिये राजीनामा के दावे वाद को स्वीकार किया है। वादीगण का वाद साबित होता है। अतः वादीगण का वाद बहक राजीनामा डिग्री किया जावें।

बहस वकील वादीगण पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अवलोकन से पाया गया कि खसरा गिरदावरी मे वादीगण के पिता का नाम चला आया है एवं पत्रावली मे दर्शाये सजरे के अनुसार वादीगण के पूर्वजो का नाम भी खसरा गिरदावरीयो मे चला आ रहा है। पत्रावली मे चली आ रही आदेशिका के अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादी सं 4 व 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश हो चुका है तथा प्रतिवादी सं 6 ता 10 कि दिनांक 18-8-2006 को जवाब देही बन्द की जा चुकी है। प्रतिवादी सं 1, 2/1, 2/2 व वादीगण के मध्य दिनांक 29-6-06 को राजीनामा होने पर राजीनामा न्यायालय मे पेश किया गया जो वाद कार्यवाही तस्दीक किया गया। दिनांक 12-10-2009 को प्रतिवादी सं 3 के मध्य राजीनामा हुआ जो न्यायालय में तस्दीक किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं 1, 2/1, 2/2 व 3 के द्वारा जरिये राजीनामा के वाद मे अंकित तथ्यो को स्वीकार किया है। तथा प्रतिवादी सं 3 अर्जुन के फौत होने के पश्चात स्व अर्जुन के वारिसान ने भी जरिये वकील न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने पिता व पति द्वारा दिनांक 12-10-2009 को किये गये राजीनामा पर सहमति जताई एवं वाद वादीगण के हक मे डिग्री किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वादीगण का वाद साबित होने से मुताबिक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण राजीनामा दिनांक 29-6-2006 व 12-10-2009 के आधार पर अन्तिम रूप से डिग्री किया जाता है। राजीनामा दिनांक 29-6-2006 व 12-10-2009 डिग्री का भाग रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड़) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	